न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
54 / 2025 प्रा.पत्र / 2025	30.05.2025	18.09.2025

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री नेमीचन्द जैन पुत्र गजानन्द जैन निवासी गौरव पथ जहाजपुर रोड देवली जिला टोंक राज0 एफ.बी.ओ. मैसर्स नेमीनाथ कन्फैक्शनरी गौरव पथ जहाजपुर रोड देवली जिला टोंक राज0। पिनकोड–304804 मोबाईल नं0 9214806727

2–मैसर्स नेमीनाथ कन्फैक्शनरी गौरव पथ जहाजपुर रोड देवली जिला टोंक राज0। पिनकोड–304804

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अप्रार्थी श्री नेमीचन्द जैन स्वयं उप0।

:–<u>निर्णय</u>–: दिनांक 18/9/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.01.2025 को समय 04:00 पी.एम. पर मैसर्स नेमीनाथ कन्फैक्शनरी गौरव पथ जहाजपुर रोड देवली जिला टोंक पर पहुंचा। वहॉ पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री नेमीचन्द जैन पुत्र गजानन्द जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स नेमीनाथ कन्फैक्शनरी गौरव पथ जहाजपुर रोड देवली जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ नमकीन, मसाले, कन्फैक्शनरी व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री नैमीचन्द जैन पुत्र गजानन्द जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री नैमीचन्द जैन पुत्र गजानन्द जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में नमकीन, मसाले, कन्फैक्शनरी व अन्य खाद्य पदार्थ के साथ–साथ दुकान की रैक में लगभग 12–13 जार मूल पैक पैक्ड अवस्था में प्रत्येक जार में 600–600 नग **शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी (कैण्डी रिच फ्रूट बॉल्स ब्राण्ड)** रखी हुई थी, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री नैमीचन्द जैन पुत्र गजानन्द जैन को फार्म न. 5 ए

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

मे वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एव दो प्रतियां मे नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियो मे विक्रेता श्री नेमीचन्द जैन पुत्र गजानन्द जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तरदीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि दुकान की रैक में लगभग 12–13 जार मूल पैक प्रत्येक जार में 600–600 ग्राम पैक अवस्था में से **शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी (कैण्डी रिच फ्रूट बॉल्स ब्राण्ड)** के बैच नम्बर 2 एवं पैकिंग की दिनांक 01/2025 थी, में से ज्यों का त्यों कुल 4 जार वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी (कैण्डी रिच फ्रूट बॉल्स ब्राण्ड)** 4 मूल जार को अलग–अलग ज्यों का त्यों खाकी कागज से लपेटकर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–4259 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–4259 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील वपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील वपडी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता नेमीचन्द जैन पुत्र गजानन्द जैन मैसर्स नेमीनाथ कन्फैक्शनरी गौरव पथ जहाजपुर रोड देवली जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नही किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/153 दिनांक 11.02.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एलएस/77/एक्ट/2025/154 दिनांक 27.01.2025 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी (कैण्डी रिच फ्रूट बॉल्स ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i)के अनुसार **मिथ्याछाप**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

(Mis-Branded)स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री नेमीचन्द जैन स्वयं उपस्थित हुए। अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी सही प्रारूप में अंकित नही होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी (कैण्डी रिच फ्रूट बॉल्स ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी (कैण्डी रिच फ्रूट बॉल्स ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 10,000/- (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/9/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन [illegible])
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज